भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2417

दिनांक 03.12.2019/12 अग्रहायण,1941 (शक) को उत्तर के लिए

जम्मू और कश्मीर में निरुद्ध करना

† 2417. श्री दयानिधि मारनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा निरुद्ध किए गए लोगों की कुल संख्या, उनको निरुद्ध करने के कारण, मद-वार और निरुद्ध करने की तिथि, हिरासत स्थल, उनकी वर्तमान स्थिति और उन्हें कहां पर रखा गया है;

(ख) अनुच्देद 370 को समाप्त करने तथा जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के कार्यान्वयन में तैनात कार्मिकों, आपूर्ति की लागत, यात्रा व्यय, लोगों को निरुद्ध करने, संचार और चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में सरकार का कुल कितना व्यय हुआ है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के पश्चात व्यवसाय को नुकसान हुआ है और इसका क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और विगत पंद्रह वर्षों के दौरान इस अवधि के लिए संबंधित वित्तीय आंकड़ों की तुलना क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): 4 अगस्त, 2019 से कश्मीर घाटी में शांति भंग करने वाले अपराध किए जाने और राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को रोकने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, 5161 व्यक्तियों को निवारक हिरासत में लिया गया था, जिनमें पत्थरबाज, ओजीडब्ल्यू, अलगाववादी आदि शामिल थे। इनमें से, वर्तमान में 609 व्यक्ति निवारक निरुद्धता में हैं। ये निरुद्धताएं संबंधित मजिस्ट्रेटों द्वारा सांविधिक प्रावधानों के तहत की गई हैं।

(ख) और (ग): तैनात कार्मिकों, आपूर्ति की लागत, यात्रा व्यय, लोगों को निरुद्ध करने, संचार और चिकित्सा सुविधाओं आदि पर हुए खर्च के बारे में अलग से कोई आकलन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ): विगत 70 वर्षों से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र में सम्पूर्ण क्षमता एवं अर्थव्यवस्था का लाभ नहीं उठाया जा सका, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लोगों को पिछले कई दशकों से सीमा पार से समर्थित आतंकवादी हिंसा और अलगाववाद का सामना करना पड़ा है। अनुच्छेद 35क और कतिपय अन्य संवैधानिक कठिनाइयों के कारण, इस क्षेत्र के लोग भारतीय संविधान में उल्लिखित पूर्ण अधिकारों और विभिन्न केन्द्रीय कानूनों के उन अन्य लाभों से वंचित थे, जो देश के अन्य नागरिकों द्वारा प्राप्त किए जा रहे थे।

संसद की सिफारिश के आधार पर अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा और पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठन के पश्चात, ऐसी सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। अब इन क्षेत्रों के लोग और व्यापारी समुदाय देश के अन्य भागों की तरह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पूरी क्षमता का लाभ उठा सकते हैं।

हाल के इन निर्णयों के चलते, प्रारंभ में उठाये गए कतिपय एहतियाती कदमों में अब पर्याप्त ढील दी गई है। अल्पकालिक उपाय के रूप में उठाए गए ऐसे निवारक कदमों के कारण जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में व्यापार और अर्थव्यवस्था पर किसी नए वित्तीय प्रभाव के बारे में जम्मू और कश्मीर सरकार अथवा लद्दाख प्रशासन से कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 7 नवम्बर, 2015 को घोषित 80,068 करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री पैकेज के तहत, सड़क, विद्युत्, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, बागवानी, कौशल विकास क्षेत्रों आदि में 63 प्रमुख विकास परियोजनायें पहले ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

उपर्युक्त उपायों के अलावा, सरकार द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थी केन्द्रित स्कीमों सहित भारत सरकार की कई प्रमुख स्कीमें सक्रियता से कार्यान्वित की जा रही हैं।

****